



कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर-जयपुर)
भुसावर : भरतपुर (राज.) पिन 321406



डॉ. उदय भान सिंह

डीन

मो: 9414714234

Email:- dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांक:प.()/संस्था/कृमविभु/2025/511

दिनांक: 10.09.2025

सीमित नीलामी - सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर के कलमी बाग में आवंला के 202 पेड़, अमरुद के 214 पेड़ एवं बेर के 90 पेड़ों में फलत है। इन पेड़ों के फलों की नीलामी की जानी है। अतः इच्छुक व्यक्ति दिनांक 16.09.2025 को दोपहर 02:00 बजे कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग) पर मौके पर उपस्थित होकर बोली लगा सकते हैं। धरोहर राशि जमा कराने वाले बोलीदाता ही नीलामी में भाग ले सकेंगे। नीलामी सूचना को सम्पूर्ण अथवा किसी भाग को बिना किसी कारण बताए निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।

नीलामी से सम्बन्धित शर्तें एवं कार्य जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से कार्य समय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

अधिष्ठाता

DEAN

College of Agriculture

Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

प्रतिलिपि :-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
2. प्रभारी, सिमका श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को प्रेषित कर लेख है कि विश्वविद्यालय वेबसाइट www.sknau.ac.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
3. कमेटी कन्वीनर/सदस्य/लेखाशाखा/.....।
4. कृषि महाविद्यालय, भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
5. तहसील कार्यालय व पंचायत समिति भुसावर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
6. रक्षित फाइल

अधिष्ठाता

DEAN

College of Agriculture

Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)



कृषि महाविद्यालय
(श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर-जयपुर)
भुसावर : भरतपुर (राज.) पिन 321406



डॉ. उदय भान सिंह

डीन

मो: 9414714234

Email:- dean.coabhusawer@sknau.ac.in

क्रमांक:प.()/संस्था/कृमविभु/2025/511

दिनांक: 10/09/2025

नीलामी – सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर, में आवंला, अमरुद एवं बेर के फलों की नीलामी की जानी है।

नीलामी स्थान:- कृषि महाविद्यालय, भुसावर, भरतपुर (कलमी बाग)

नीलामी की दिनांक :- 16.09.2025 (मंगलवार)

समय:- दोपहर 02:00 बजे से।

नीलामी सम्बन्धी शर्तों का विवरण:-

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले बोलीदाता को बोली लगाने से पहले रुपये 5000/- (अक्षरें रुपये पाँच हजार मात्र) धरोहर राशि जमा करवानी होगी। जिस बोलीदाता के नाम अंतिम बोली छूटेगी उसकी धरोहर राशि सिक्कुरिटी राशि के रूप में जमा कर ली जायेगी। अन्य बोलीदाताओं की धरोहर राशि उसी दिन बोली पूर्ण होने पर लौटा दी जायेगी।
2. नीलामी में भाग लेने का अधिकार केवल धरोहर राशि जमा करवाने वाले व्यक्तियों का ही होगा। अंतिम बोली को छोड़ने या नहीं छोड़ने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का होगा।
3. बोली छूटने के बाद बोलीदाता को नीलामी की सम्पूर्ण राशि दो दिवस में कार्यालय में जमा करवानी होगी।
4. जिस व्यक्ति के नाम बोली छूटेगी वह अन्य व्यक्ति को ठेका नहीं दे सकेगा।
5. बोली छूटने के बाद 15.03.2026 तक उपरोक्त उत्पादों पर सफल बोलीदाता का अधिकार होगा।
6. फलों का निरीक्षण बोलीदाता स्वयं फील्ड में जाकर अवश्य कर लें।
7. उपरोक्त उत्पाद को फार्म से बाहर ले जाते समय फार्म मैनेजर से गेटपास लेना जरूरी होगा।
8. प्राकृतिक आपदा (ऑंधी, तूफान, बारिश, ओले, पाला आदि) की स्थिति होने पर फलोत्पादन में होने वाली मात्रात्मक एवं गुणात्मक कमी की कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. फलों की तुड़ाई, परिवहन कार्य आदि के दौरान किसी भी श्रमिक का अंग भंग होने, घायल होने या अन्य घटना होने की स्थिति में ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
10. फलों की तुड़ाई / बेचान कार्य दिवस एवं कार्यालय समय सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे में फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर की देखरेख में करनी होगी।
11. फलों में सिचाई करने, थाला बनाने तथा अन्य रख-रखाव करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
12. प्रशासन की पूर्वानुमति से सुखे एवं अनुउत्पादक पौधों को काटा जा सकता है, निविदा के समय ऐसे पौधों को शामिल नहीं किया गया है, अतः ठेकेदार किसी भी प्रकार के मुआवजे की मांग नहीं कर सकता है।
13. नीलामी में फलन (उत्पादन) वाले पौधों को ही शामिल किया गया है।
14. सफल निविदादाता को बगीचे में लगने वाले खाद, उर्वरक (फॉस्फोरस, नाइट्रोजन व पेस्टीसाइड) रोग लगने के परीक्षण उपरान्त ही दवाई दी जायेगी तथा इनको पौधों में देने का कार्य निविदादाता करेगा।
15. सफल निविदादाता अमरुद, बेर एवं आवंला के बगीचों की चौकीदारी स्वयं करेगा तथा बगीचे में की जाने वाली फसलों की चौकीदारी भी निविदादाता की होगी।
16. निविदादाता द्वारा लगाये जाने वाले श्रमिकों की किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
17. सफल निविदादाता को 100/- रुपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा।
18. बगीचों में लगे पौधों में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होनी चाहिए, यदि क्षति होगी तो निविदादाता को कमेटी द्वारा तय जुर्माना देना पड़ेगा।
19. महाविद्यालय फार्म पर कॉलेज भवन, हॉस्टल सहित अन्य भवन, फार्म उपकरण, फार्म पर लगाये गये पौधे व नर्सरी पौधों तथा अन्य कीमती सामान हैं, उनकी क्षति व चोरी आदि नुकसान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी नुकसान या क्षति का कमेटी द्वारा तय जुर्माना निविदादाता को देना होगा।

(Signature)

DEAN

College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)

20. यदि निविदादाता महाविद्यालय के संसाधन जैसे बिजली मोटर, फार्म उपकरण, पाइप, स्प्रेयर आदि का उपयोग करता है तो उन सभी के रखरखाव व सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं रिपेरिंग का खर्च निविदादाता स्वयं वहन करेगा।
21. निविदादाता के मजदूर व स्वयं फार्म पर मंदिरा व अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे और न ही किसी अन्य को करने देंगे।
22. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर नीलामी निरस्त कर सम्बन्धित व्यक्ति की धरोहर राशि जब्त की जा सकती है एवं कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।
23. हर विवादित मामले में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।


अधिष्ठाता
DEAN

College of Agriculture
Bhusawar (Weir)-Bharatpur (Raj.)